


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

आधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]
No. 36]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 8, 1984/ भाद्र 17, 1906
NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 8, 1984/BHADRA 17, 1906

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II - खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

(रजा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)
नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1984

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Department of Personnel Admn. Reforms)
New Delhi, the 17th August, 1984

सा. का. नि. 934—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 149 के खण्ड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परस्पर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय सेवा परीक्षा और सेवा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् मूल नियमों में और चागे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

G.S.R. 934.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Controller and Auditor General in relation to personnel in the India Administration and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Fundamental Rules, namely:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मूल (द्वितीय संशोधन) नियम, 1984 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. उक्त मूल नियमों के नियम 22 में परस्पर (1) (iii) में आए हुए "सावधिक पद से भिन्न" शब्दों का लोप किया जाएगा।

1. (1) These Rules may be called the Fundamental (Second Amendment) Rules, 1984.

The Rules shall be in force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. In rule 22 of the Fundamental Rules, the words "other than a tenure post" occurring in clause (iii), shall be omitted.

[संख्या एक० 13/5/84/स्था० पी० I]
एस० हरिहरन, प्रवर सचिव

[No. F. 13/5/84-Extt. P.1
S. HARIHARAN, Under Secy.

सूचना और पसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1984

सा० का० नि० 949.—राष्ट्रपति, मूल नियमों के नियम 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, भारत सरकार के वित्त विभाग के पत्र संख्या 104 सी० एम० आर० तारीख 4 फरवरी, 1972 के साथ जारी किए गए अनुपूरक नियमों का और सशोधन करने के लिए निम्न-लिखित नियम बनाने हैं अर्थात्:—

उक्त नियमों के भाग 8 में अनु० नि० 317 के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“खंड 27 न”

अनु० नि० 317-26-न-1 (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—इस खंड में नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (आवाधिक क्वार्टरों का आबंटन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनु० नि० 317-26-न-2

परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) “आबंटन” से इन नियमों के उपबंधों के अनुसार क्वार्टरों के अधिभोग में रखने के लिए अनुज्ञप्ति देना अभिप्रेत है;

(ख) “आबंटन वर्ष” से पहले जनवरी को प्रारम्भ होने वाला वर्ष या ऐसी अन्य अवधि अभिप्रेत है जो मॉनिटोरिंग द्वारा अधिसूचित की जाए;

(ग) “कठिन स्थान” से इन नियमों से उपा-बद्ध पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थान अभिप्रेत है जिनके अंतर्गत कोई अन्य स्थान भी है जो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किए जाएं,

(घ) “मॉनिटोरिंग” से आकाशवाणी का मॉनिटोरिंग अभिप्रेत है;

(ङ) “उपलब्धियों” से वह अर्थ अभिप्रेत है जो मूल नियम 45-ग में उसका है, किन्तु प्रतिकारकता भत्ता इसके अंतर्गत नहीं है। स्टाक कर्ताकारों के लिए फीस का वही अर्थ है जो वेतन का है;

स्पष्टीकरण: ऐसे किसी अधिकारी के मामले में जो निवृत्तनाधीन है आबंटन वर्ष के जिसमें उसे नियुक्ति किया जाता है प्रथम दिन को ली गई उपलब्धियां या यदि उसे आबंटन वर्ष के पहले दिन नियुक्ति किया जाता है तो उसके द्वारा इस तारीख से ठीक पहले ली गई उपलब्धियां मानी जाएंगी;

(च) “कुटुम्ब” से अभिप्रेत है यथास्थिति पत्नी या पति और संतान, मौतली संतान वैध रूप से उत्तरक की गई संतान माता-पिता, भाई या बहनें जो सामान्यतया अधिकारी के साथ निवास करते हैं और उम्र पर आश्रित हैं,

(छ) “सरकार” से जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है।

(ज) “कार्यालय का प्रधान” से आकाशवाणी या आकाशवाणी के किसी अधीनस्थ कार्यालय की बाह्य वित्तीय शक्तियों का प्रत्यावाहन नियम, 1978 के नियम 14 के अधीन कार्यालय के प्रधान के रूप में घोषित अधिकारी अभिप्रेत है;

(झ) किसी अधिकारी या उनके कुटुम्ब के किसी सदस्य के संबंध में “मकान” से ऐसा भवन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है जिसका उपयोग निवास-स्थान के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है और जो स्थानीय नगर पालिका या किसी लगे हुई नगर पालिका की अधिकारिता के भीतर स्थित है।

स्पष्टीकरण:—कोई भवन जिनके किसी भाग का उपयोग निवास के प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है, इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस भवन के होने हुए भी मकान समझा जाएगा कि उसके किसी भाग को प्रतिवासी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है;

(ञ) “अनुज्ञप्ति फीस” इन नियमों के अधीन आबंटित क्वार्टरों के संबंध में मूल नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रतिमास देय धनराशि अभिप्रेत है। ऐसे सरकारी शेषक की दशा में जो स्वयं या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी मकान का स्वामी है या सरकारी क्वार्टरों के आबंटन के पश्चात् अपनी इयूटी के स्थान पर किसी मकान का स्वामी हो जाता है अनुज्ञप्ति फीस, समय-समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार होगी।

(ट) किसी अधिकारी के संबंध में “कुटुम्ब का सदस्य” से यथास्थिति अधिकारी की पत्नी या पति या उम्र पर आश्रित संतान अभिप्रेत है;

(ठ) “नगरपालिका” के अंतर्गत कोई नगर निगम कोई नगरपालिका समिति या बोर्ड टाउन एरिया समिति नोटोकाइड एरिया समिति और छावनी बोर्ड है;

(ड) “लगे हुई नगरपालिका” से ऐसी नगरपालिका अभिप्रेत है जो किसी स्थानीय नगरपालिका से लगे हुई है।

(ड) किसी अधिकारी के संबंध में “स्थानीय नगरपालिका” से ऐसी नगरपालिका अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता में उसका कार्यालय अवस्थित है—

(ण) “अधिकारी” से आकाशवाणी के कर्मचारियों का कोई सदस्य अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत नियमित स्टाक कर्ताकार भी है;

(त) किसी अधिकारी की क्वार्टरों के संबंध में जिनके लिए वह पात्र है “पूर्विकता तारीख”

अनु. नि. 317-26-न-7 के उपबंधों के अधीन से वह पूर्वतन तारीख अभिप्रेत है जब से वह छुट्टी की अवधि के सिवाय केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद पर या अन्यत्र सेवा पर या किसी स्टाक कर्ताकार के रूप में किंगो विनिर्दिष्ट टाइम अवधि किसी उच्चतर टाइम से सूसंगत उपलब्धियां लगातार लेता रहा है:

परन्तु टाइप क टाइप ख टाइप ग या टाइप घ क्वार्टर के संबंध में, वह तारीख, जब से अधिकारी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के (जिनमें ग्रन्थस सेवा की अवधियाँ भी हैं)। प्रथम निरन्तर सेवा में है उन टाइप के लिए उनकी पूर्णिकता तारीख होगी:—

परन्तु यह और कि जहाँ दो या अधिक अधिकारियों की पूर्णिकता तारीख एक ही है वहाँ डाक शीट ज्येष्ठता उपनियमों की रकम से अवधारित की जाएगी। अधिक उपनियमों प्राप्त करने वाले अधिकारी को कम उपनियमों प्राप्त करने वाले अधिकारियों में अपना भी जाएगा और जहाँ उपनियमों समान हैं वहाँ ज्येष्ठता सेवाकाल की दृष्टि से के अनुसार अवधारित को जाएगा।

परन्तु यह और भी कि ऐसे अधिकारियों की बाबत जो स्थानांतरण पर किसी केन्द्र में आते हैं क्वार्टरों का एक पूरा आवश्यक सीमा तक और ऐसे नियमों के अन्य उपबंधों का जिनका संबंध शिफ्ट ड्यूटी स्ट्राइक पाठना क्वार्टर रखने की नियामता अधि से है ध्यान में रखते हुए आरक्षित किया जाएगा।

श्रावणीकरण:—तीसरे परन्तु ने विविध मामलों में स्थानांतरणों से किसी केन्द्र (शहर) की प्रभावी तबदीली है, जिनमें आकस्मिक छुट्टी से विश्व छुट्टी की अवधि को छोड़कर एक वर्ष या उससे अधिक के लिए ड्यूटी अंतरणित है।

- (ब) "क्वार्टर" से 5-न-4(2) के अधीन स्पष्टीकरण में परिभाषित और दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियंत्रक प्राधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के तत्त्वगत अधीन कोई आवासिक निवास स्थान अभिप्रेत है;
- (ब) "अनुसूची" से इन नियमों में उपाय को कोई अनुसूची अभिप्रेत है;
- (घ) "शिफ्ट ड्यूटी कर्मचारियों" से ऐसा कर्मचारियों अभिप्रेत है जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सं. 12(1)/74ख (क), तारीख 31-12-73 (समय समय पर व्यासंबोधित) में अस्तित्व आदेशों के विधियों के अनुसार शिफ्ट ड्यूटी कर रहे हैं और जो इन विधियों से संबंधी अनुसूची के रूप में उपाय उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट प्रकरणों के हैं;
- (ग) "उप पट्टे पर देना" के अस्तित्व किमी आरंभितों द्वारा अपने कुटुम्ब के सदस्यों में विश्व किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसके द्वारा अनुसूचित फीम के संवाय पर या उसके बिना नाम-सुविधा का सहयोग करना;
- (घ) "टाइप" किसी अधिकारी के संबंध में "टाइप" से निवास-स्थान का यह टाइप अभिप्रेत है जिसका यह अनु. नि. 317-26-न-7 के अधीन पात्र है।

अनु. नि. 317-26-न-3

क्वार्टर के आरक्षण के लिए—

(1) पाठना—दूसरी अनु. नि. के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट आकाशवाणी केन्द्रों पर उपलब्ध क्वार्टरों को अनुसूची के स्तम्भ 2 में तत्त्वानो प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट नियंत्रक प्राधिकारियों के आरक्षण में रहेंगे और आकाशवाणी के उक्त केन्द्रों में कार्य कर रहेगी अधिकारी आरक्षण के पात्र होंगे;

परन्तु यह कि तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उच्च शक्ति प्रेषित क्वार्टर केवल उच्च शक्ति प्रेषित के कर्मचारियों को आरक्षणित किए जाएंगे।

700 GI/84—8

(2) किसी अधिकारी को, जितको यथास्थिति, पत्नी या पति को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय या किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा नियमित किसी अन्य पूल से पहले से ही उसी केन्द्र पर कोई क्वार्टर आरक्षणित किया गया है, उसे इन नियमों के अधीन कोई क्वार्टर आरक्षणित नहीं किया जाएगा और यदि किसी अधिकारी जिसे इन नियमों के अधीन कोई क्वार्टर आरक्षणित किया गया है, ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेता है जिसके पास किसी अन्य पूल की वास्तु-सुविधा का कोई क्वार्टर है तो वह अधिकारी विवाह के एक मास के भीतर, इन नियमों के अधीन उसे आरक्षणित क्वार्टर को खाली कर देगा/ कर देगी;

परन्तु यह कि यदि पति और पत्नी दोनों ही एक ही आकाशवाणी केन्द्र पर कार्य कर रहे हैं जो जिस अधिकारी की बारी पहले जाएगी वह क्वार्टर के आरक्षण का पात्र होगा।

अनु. नि. 317-26-न-4

वास सुविधा का वितरण—

(1) तीसरी अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट और उसके स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट उच्च शक्ति प्रेषित पर क्वार्टर उक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट पदों से संबद्ध रहेंगे।

(2) उच्च शक्ति प्रेषित से विश्व प्रत्येक आकाशवाणी केन्द्र पर किसी अधिकारी की पूर्णिकता तारीख को ध्यान में रखे बिना जहाँ कहीं पाठना टाइप का क्वार्टर उपलब्ध है और जहाँ कोई क्वार्टर उपलब्ध नहीं है उसी उच्चतर/निम्नतर टाइप का क्वार्टर आरक्षण के लिए निम्नलिखित के लिए सुरक्षित किया जाएगा—

- (क) नियंत्रक प्राधिकारी को,
- (ख) जहाँ नियंत्रक प्राधिकारी कोई केन्द्र निदेशक या सहायक केन्द्र निदेशक है तब ज्येष्ठतम इंजीनियरी अधिकारी को;
- (ग) जहाँ नियंत्रक प्राधिकारी कोई इंजीनियरी अधिकारी है वहाँ ज्येष्ठतम कार्यक्रम अधिकारी को;

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार सुरक्षित कोई क्वार्टर जिसके कम से कम तीन मास की अवधि के लिए खाली रहने की संभावना है, उसे अनु. नि. 317-26-न-12 के निबंधनों के अनुसार किसी अधिकारी को आरक्षणित किया जा सकेगा।

श्रावणीकरण:—प्रत्येक आकाशवाणी केन्द्र किसी अधीनस्थ कार्यालय की बाबत नियंत्रक प्राधिकारी दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कार्यालय का प्रधान होगा।

(3) प्रेषण केन्द्रों और ग्रही केन्द्रों पर सुरक्षा गार्डों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से बनाए गए क्वार्टरों पर से सम्बद्ध रहेंगे जहाँ पदों की संख्या क्वार्टरों की संख्या से अधिक है वहाँ आरक्षण इन नियमों के अनुसार किया जाएगा;

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार सुरक्षित किया गया कोई क्वार्टर जिसके कम से कम तीन मास की अवधि के लिए खाली रहने की संभावना है अनु. नि. 317-26-न-12 के निबंधनों के अनुसार किसी भी अधिकारी को आरक्षणित किया जा सकेगा।

(4) किसी केन्द्र पर उपलब्ध शेष क्वार्टरों को दो पूलों में वितरित किया जाएगा, अर्थात्:—

- (1) "शिफ्ट ड्यूटी पूल"
- (2) "साधारणपूल"

(5) उपरोक्त पैरा 4 के अधीन उपलब्ध क्वार्टरों को 7:3 के अनु-पात में शिफ्ट ड्यूटी पूल और साधारण पूल में वितरित किया जाएगा।

(6) शिफ्ट ड्यूटी पूल में क्वार्टरों को पूर्णिकता तारीख के आधार अनु. नि. 317-26-न-2(ह) में यथा परिभाषित शिफ्ट ड्यूटी स्टाफ को ही आवंटित किया जाएगा।

(7) साधारण पूल में क्वार्टरों को, पूर्णिकता तारीख के आधार पर आकाशवाणी के कर्मचारियों के सभी अन्य सदस्यों को आवंटित किया जाएगा।

परन्तु यह कि शिफ्ट ड्यूटी कर्मचारियों द्वारा पूर्णिकता तारीख के आधार पर साधारण पूल में से भी क्वार्टरों के आवंटन के लिए हकदार होगा।

(8) शिफ्ट ड्यूटी पूल में क्वार्टरों के आवंटित होने की अवधि इस बाध्यता के अधीन होगी कि ड्यूटी पर बुलाए जाने पर वे उपलब्ध होंगे। शिफ्ट ड्यूटी कर्मचारियों द्वारा दिए गए आवेदन पत्रों के आधार पर नियंत्रक प्राधिकारी शिफ्ट ड्यूटी पूल में आवंटन के लिए उपलब्ध क्वार्टरों की संख्या अधिसूचित करेगा। शिफ्ट ड्यूटी पूल में ऐसे शिफ्ट ड्यूटी कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन उनकी परस्पर पूर्णिकता की तारीख के आधार पर किया जाएगा।

परन्तु उसी समय पदों के प्रत्येक प्रवर्ग में, जो शिफ्ट ड्यूटी कर्मचारियों के कर्मचाल में सम्मिलित हैं, उनकी पारस्परिक पूर्णिकता के होने हुए भी आवंटन किया जाएगा।

(9) किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे शिफ्ट ड्यूटी पूल में से क्वार्टर आवंटित किया जाना है अपनी प्रोन्नति हो जाने पर भी वह उस क्वार्टर को अपने अधिभोग में रख सकेगा, परन्तु यह तब होगा जब ड्यूटी पर बुलाए जाने के लिए वह उपलब्ध रहता है। बुलाए जाने पर शिफ्ट ड्यूटी पूल में क्वार्टरों के आवंटितियों द्वारा, ड्यूटी के पालन के मसल से, यदि नियंत्रक अधिकारी ऐसा विनिश्चय करे तो वह माम में एक बार और उससे पहले पुनर्विचार किया जा सकेगा और उन व्यक्तियों के आवंटन, जिनके बारे में बात है कि बुलाए जाने पर वे ड्यूटी पर हजर होने में असफल रहे थे नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा रद्द किए जा सकेंगे। ऐसे मामलों में रद्दकरण के प्रभावी होने से पहले 15 दिन की सूचना दी जाएगी। ऐसे मामलों में नियंत्रक प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

अनु. नि. 26-न-5

(1) आवंटन के लिए रोस्टर को रखना—किसी क्वार्टर के आवंटन के लिए प्रत्येक अधिकारी चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में अपनी विनिर्दिष्टा देने हुए संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन पत्र देगा। प्रारूप में दी गई उस कार्यलय द्वारा, जिसमें अधिकारी कार्य कर रहा है अधिप्रमाणित की जाएगी। नियंत्रक प्राधिकारी अधिकारियों की "पूर्णिकता तारीखों" के आधार पर प्रत्येक टाइप की वा. सुविधा प्राप्त शिफ्ट ड्यूटी पूल और साधारण पूल के लिए पृथक पृथक रोस्टर तैयार करेगा। ऐसे अधिकारी की जिसकी पूर्णिकता तारीख पहले है उस अधिकारी को ऊपर रखा जाएगा जिसकी पूर्णिकता तारीख पश्चान्तर्गता है।

(2) शिफ्ट ड्यूटी पूल और साधारण पूल में क्वार्टरों का आवंटन रोस्टर में किसी व्यक्ति के स्थान के अनुसार किया जाएगा।

(3) उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट रोस्टर को अद्यतन रखा जाएगा। किसी केन्द्र पर नए नौनास किए गए प्रत्येक अधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपना कार्यभार सभालत के दो सप्ताह के भीतर चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में अपनी विनिर्दिष्टा नियंत्रक प्राधिकारी को प्रस्तुत करे। नियंत्रक प्राधिकारी विनिर्दिष्टा प्राप्त होने पर सुसंगत रोस्टर में आवश्यक परिवर्तन करेगा।

(4) प्रत्येक माम की पहली तारीख को प्रत्येक टाइप की वा. सुविधा के लिए रोस्टर में पहले पांच व्यक्तियों के नामों की प्रतीक्षा सूची सभी संबंधित व्यक्तियों की कमकरी के लिए सूचना पत्र पर प्रेषित की जाएगी।

अनु. नि. 317-26-न-6

(1) आवंटन का स्वीकार न करने पर शास्त—किसी भी पद के धारक के बारे में जिसे क्वार्टर आवंटित किया गया है यह समझा जाएगा कि उसकी पदावधि के दौरान क्वार्टर उसके अधिभोग में है और वह अब तक आवंटन रद्द नहीं कर दिया जाता है उसके लिए अनुज्ञति कर देने के लिए दायी है।

(2) ऐसे मामलों में जब आवंटन (रोस्टर के आधार पर) नियंत्रक अधिकारी द्वारा किया गया है अस्वीकार कर दिया जाता है या स्वीकार किए जाने के पश्चात् क्वार्टर अर्थात्पत्त कर दिया जाता है तब वह अधिकारी क्वार्टर के आवंटन की तारीख में निम्नलिखित शर्तियों के लिए दायी होगा—

(i) उसे एक वर्ष की अवधि के लिए क्वार्टर के आवंटन से विवर्जित किया जाएगा।

(ii) उस अवधि के लिए, जिसके लिए वह वा. सुविधा के और आवंटन से विवर्जित रहता है मकान किराया पत्ता अनुभोग नहीं होगा।

परन्तु यह कि विवर्जित अधिकारी का नाम विवर्जन अवधि की समाप्ति के पश्चात् रोस्टर में बना रहेगा;

परन्तु यह और कि इस उप नियम के उपबन्ध ऐसे व्यक्तियों को बाधत लागू नहीं होंगे जिन्हें किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इनके प्रवर्तन से छूट देने वाले, साधारण या विशेष आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किया जाता है।

स्पष्टीकरण : जब संबंधित अधिकारी का केन्द्र में स्थानान्तरण हो जाता है तब इन नियम के अधीन शर्तियाँ प्रभावी नहीं रहेंगी।

अनु. नि. 26-न-7

(1) क्वार्टरों का वर्गीकरण—इस नियमों के अधीन जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके विनाय कोई अधिकारी नीचे दर्शाए गए सागणी में क्वार्टरों के टाइप का पात्र होगा।

क्वार्टरों की टाइप	सागणी	अधिकारी का प्रवर्ग या उसके उस माम की पहली तारीख की उपगणितियाँ जिसमें आवंटन किया जाता है
(क)	260 रु से कम	
(ख)	500 रु० से कम किन्तु 260 रु से कम नहीं	
(ग)	1000 रु से कम किन्तु 500 रु० से कम नहीं	
(घ)	1500 रु से कम किन्तु 1000 रु० से कम नहीं	
(ङ)	1500 रु और उससे ऊपर	

(2) सभी क्वार्टर उप नियम (1) में वर्णित टाइप के अधीन वर्गीकृत किए जायेंगे।

(3) जब कोई कर्मचारी अपनी उपगणितियों में वृद्धि के कारण किसी उच्चतर टाइप के क्वार्टर का हकदार हो जाता है, तब उसे निचले टाइप के क्वार्टर को, ऐसे समय तक रखने के लिए अनुज्ञा दी जाएगी जब उसे उच्चतर टाइप का क्वार्टर आवंटित किया जाता है। यदि उक्त आवंटित अपनी उपगणितियों में वृद्धि पर उस आवंटित उच्चतर टाइप मकान में जाने के लिए इंकार कर देता है तो वह, निचले टाइप में रखने पर भी उच्चतर टाइप क्वार्टर के लिए अनुज्ञति फोन का संदाय करने का दायी होगा।

अनु. नि. 317-26-न-8 अनुसूचित फीस से संबंधित उपबंध- - एवं किसी क्वार्टर का आबंधन कर दिया गया है तब, अनुसूचित फीस के संबंध का दायित्व, अधिभाग की तारीख या, आबंधन प्राप्त करने की तारीख से आठवें दिन से, जो भी पहले हो प्रारम्भ होगा।

अनु. नि. 317-26-न-9

(1) क्वार्टर रखने की अवधि किसी अधिकतम की बाबत कोई भ्रष्टाचार नीचे मारणी के स्तर 1 में विनिश्चित किया घटना के घटित होने पर, उसका स्तर 2 में विनिश्चित अवधि के लिए रखा जा सकेगा, परन्तु वह तब तब कि, भ्रष्टाचार की अधिकारी या उनके कुटुम्ब के सदस्यों के लिए वास्तविक उपयोग के लिए आवश्यकता है, परन्तु यह कि न-4 के उप-नियम (1), में वर्णित उच्च शक्ति प्रेषियों या आकाशवाणी केन्द्रों पर पदों से उनकी छोड़कर जो नियम न-4 के उप-नियम (2) में वर्णित उच्च शक्ति प्रेषियों या नियम न-4 के उप-नियम (3) में वर्णित प्रेषण या ग्राहकों केन्द्रों पर सुरक्षा गार्डों के पदों के हैं, सर्वप्रथम क्वार्टरों की बाबत उन विनिश्चित मामलों में निदान जिनके लिए कारण लेखबद्ध किए जायेंगे सरकार किसी अधिकारी का, मूल नियमों के अधीन मानक अनुसूचित फीस के हटाने के संशय पर अधिकारी के स्थानान्तरण की तारीख से एक मास से अधिक अवधि के लिए, भ्रष्टाचार रखने के लिए अनुज्ञा दे सकेगी। नीचे संलग्न मारणी के (I) से (IV), (VII) (X) और (XI) में जैसा दिया है उस रूप से भ्रष्टाचार रखना अनुज्ञेय नहीं होगा।

मारणी

घटनाएँ	क्वार्टरों को रखने के अनुज्ञेय अवधि
(1)	(2)
(1) पदत्याग पदच्युति या सेवा से हटाया जाना, सेवा का पर्यवसान प्रथम अनुज्ञा के बिना अध्याधिकृत स्थिति	1 मास
(2) सेवा-निवृत्ति या सेवान्त छुट्टी	2 मास
(3) आबंधित की मृत्यु	4 मास
(4) केंद्र से बाहर किसी स्थान पर स्थानान्तरण	2 मास
(5) भारत में अन्यत्र सेवा पर जाना	2 मास
(6) भारत से अस्थायी स्थानान्तरण	4 मास

(1)	(2)
(7) भारत से बाहर किसी स्थान को स्थानान्तरण	4 मास
(8) छुट्टी (जो निवृत्ति छुट्टी की अवधि पर्यन्त किन्तु चार मास से अधिक पूर्व छुट्टी प्रस्तावित छुट्टी, सेवांत छुट्टी, चिकित्सीय छुट्टी या अध्ययन छुट्टी से भिन्न है) प्रसूति छुट्टी।	प्रसूति छुट्टी की अवधि पर्यन्त और 5 मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, इसके अनुक्रम में मजूर की गई छुट्टी।
(9) निवृत्ति पूर्व छुट्टी या मूल नियम 85 के अधीन मजूर की गई प्रस्तावित या ऐसे सरकारी सेवक को जो मूल नियम 56(ज) के अधीन सेवा निवृत्त होता है।	चार मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए जिसके अंतर्गत सेवा सेवानिवृत्त की वया में अनुज्ञेय अवधि है, पूरे अंशित वेतन पर छुट्टी की पूर्ण अवधि पर्यन्त !
मजूर की गई उपार्जित छुट्टी	चार मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए जिसके अंतर्गत सेवा सेवानिवृत्त की वया में अनुज्ञेय अवधि है, पूरे अंशित वेतन पर छुट्टी की पूर्ण अवधि पर्यन्त !
(10) भारत में या भारत से बाहर अध्ययन छुट्टी	(क) यदि किसी अधिकारी के अधिभाग में ऐसी कक्षा सुविधा है जिसका वह हकदार है तो पूरी अध्ययन छुट्टी की अवधि के लिए (ख) यदि अधिकारी के अधिभाग में ऐसी कक्षा सुविधा है जिसका वह हकदार है तो अध्ययन छुट्टी की अवधि के लिए किन्तु छह मास से अधिक नहीं परन्तु यह कि यहाँ अध्ययन छुट्टी के प्रारंभ की तारीख से छह मास की समाप्ति पर, यदि वह ऐसा चाहता है, उस टाइप में जिसका वह हकदार है, एक टाइप नीचे की अनुकल्प वाम सुविधा प्राबलित की जा सकेगी।
(11) भारत से बाहर प्रति-नियुक्ति	छह मास से अनधिक अवधि।
(12) चिकित्सीय आक्षार पर छुट्टी	छुट्टी की संपूर्ण अवधि।
(13) प्रशिक्षण के लिए आने पर	प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि।
(2) पूर्वोक्त मारणी के स्तर 2 में वर्णित अवधि की समाप्ति पर क्वार्टरों का आबंधन स्वतः रद्द हो जाएगा।	
(4) जहाँ कोई अधिकारी वेतन और भत्तों के बिना चिकित्सीय छुट्टी पर है वहाँ वह न-9, उप-नियम (1) के नीचे मारणी के	

मव (12) के अधीन रियायत के कारण क्वार्टर रख सकेगा परन्तु यह तब जबकि वह ऐसे क्वार्टर के लिए अनुज्ञप्ति फीस, प्रतिमा नकद भोजना है और जहाँ वह ऐसी अनुज्ञप्ति फीस दो मास से अधिक की अवधि के लिए भोजने में असफल रहता है वहाँ आबंटन रद्द हो जाएगा।

अनु० नि० 317-26-न-10
आबंटन रद्द होने के पश्चात् क्वार्टर में अति-वास करना।

जहाँ उन निमनो से किसी उपबंध के अधीन आबंटन रद्द हो गया है या रद्द किया गया जाता है; और क्वार्टर ऐसे अधिकारी के, जिसको आबंटन किया गया, था या किसी ऐसे व्यक्ति का जो उसकी संपत्ति दावा करता है, अधिभोग में रहता है या अधिभोग में रह रहा है, तो ऐसा अधिकारी, ऐसी शास्तिक दर पर, जो समय समय पर अवधारित की जाए, अनुज्ञप्ति फीस का भंडार करने का दायी होगा। क्वार्टर का खाली कब्जा अधि-प्राप्त करने के लिए नियंत्रक प्राधिकारी शास्तिक किराए के उद्ग्रहण के अतिरिक्त सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेवखली) अधिनियम, 1971 के अधीन खाली कराने की कार्यवाहियाँ भी कर सकेगा।

परन्तु महासूचना विधायक मामलों में और संतान की शिक्षा या कुटुम्ब के किसी सदस्य का गंभीर बीमारी के कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी अधिकारी को, मूल नियम 45 के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस को दोगुना संघाय करने पर, किसी क्वार्टर के अनु० नि. 317-26-न-9 के अधीन अनुज्ञाप अवधि के पश्चात् 6 मास से अनधिक की अवधि के लिए रखने के लिए अनुज्ञाप कर सकेगा।

अनु. नि. 317-26-न-11
क्वार्टरों को उप पट्टे पर देना।

वह अधिकारी जिसे कोई क्वार्टर आवंटित किया गया है जिससे अन्तर्गत इसमें सलग्न उपग्रह भी है किसी व्यक्ति को पूर्णतः वा भ्रामत. उप पट्टे पर नहीं देगा। एक ही स्थान पर तैनात और इन निमनों के अधीन क्वार्टर के आबंटन के लिए पात्र आकाशवाणी के कर्मचारियों के साथ क्वार्टर का सहभोग करना अनुज्ञेय है। परन्तु यह तब जब कि नियंत्रक प्राधिकारी से इस संबंध में लिखित अनुज्ञा उप-प्राप्त कर ली गई है। यदि कोई आबंटित, नियंत्रक प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी क्वार्टर को उप पट्टे पर देता है या क्वार्टर का किसी अन्य के साथ सहभोग करता है तो उसे 5 दिन के भीतर स्पष्ट करने के लिए एक कारण बताओ सूचना की तारीख की जाएगी उसको किया गया आबंटन क्यों न रद्द कर दिया जाए। यदि आबंटितो द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण समाधानप्रद नहीं है तो, आबंटन, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा, अप्राधिकृत रूप में उप पट्टे पर देने या

सहभोग की तारीख से रद्द किया जा सकेगा : आबंटितों में अनुज्ञप्ति फीस, रद्द करने की तारीख से शास्तिक दर पर प्रमाणात् की जाएगी। इस विषय में नियंत्रक प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

अनु. नि. 317-26-न-12 विशेष शर्तों के अधीन उच्चतर निचली टाइप के क्वार्टर का आबंटन—जब कोई क्वार्टर रिक्त हो जाता है और रोस्टर में कोई पात्र व्यक्ति नहीं है तो, नियंत्रक प्राधिकारी यदि उसका समाधान हो जाता है, कि क्वार्टर के कम से कम 3 मास की अवधि तक खाली रहने की संभावना है तो, वह किसी अधिकारी, या एक से अधिक अधिकारियों को, जो क्वार्टर के लिए हकदार है, क्वार्टर का प्रस्ताव कर सकेगा। अधिकारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :

1. क्वार्टर तब खाली कर दिया जाएगा जब रोस्टर में कोई पात्र व्यक्ति, उसके लिए आवेदन करता है। ऐसे आबंटितों (आबंटितों) को क्वार्टर खाली करने के लिए 10 दिन की सूचना दी जाएगी।
2. अधिकारी क्वार्टर को मू. नि. 45 के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस का भंडार करेगा यदि उसके अधिभोग में, क्वार्टर, उसके उस टाइप से उच्चतर टाइप का है जिसका वह हकदार है, और यदि अधिकारी को उस के उस टाइप से जिसका वह हकदार है निचला टाइप का क्वार्टर आवंटित किया जाता है तो अनुज्ञप्ति फीस, उसकी उपलब्धियों का 10 प्रतिशत या मू. नि. 45-क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस इनमें से जो भी कम हो, वसूल की जाएगी यदि उच्चतर टाइप का कोई क्वार्टर। सहभोग करने के आधार पर, एक से अधिक अधिकारी को, आवंटित किया जाता है तो, वसूल की जाने वाली अनुज्ञप्ति फीस प्रत्येक सहभोगी को उपलब्धियों का 10 प्रतिशत होगी, जिनकी मासिक उपलब्धियाँ एक साथ मिलाकर अनु. नि. 31-7-26-न-7 के नीचे, सारणी में उस टाइप के क्वार्टर के लिए शिक्ति देत परिसीमा में कम नहीं होगी।
3. आवंटित कोई अप्राधिकृत सरचना नहीं करेगा/करेगी।
4. ऐसा आबंटन आबंटितों/आबंटितियों को, अनुकूल्य वास-सुविधा का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा।
5. इस नियम के अधीन क्वार्टरों के आबंटन को, हकदार टाइप के लिए उस रोस्टर में अधिकारी की पूर्णता तारीख में स्थित नहीं रहेगा।

अनु० नि० 217-26-न-13

क्वार्टर का परिवर्तन और पारस्परिक विनियम—ऐसा अधिकारी, जिसे कोई क्वार्टर आर्बिट्रल किया गया है, उसी दाय्य के क्वार्टर के परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकेगा और उसे परिवर्तन अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु अधिकारी को आवेदन क्वार्टर की दाय्य की वास्तु उसी केन्द्र में एक बार के अन्विक के लिए परिवर्तन अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु यह और कि क्वार्टरों के परिवर्तन का एक रीस्टर बनाए रखा जाएगा और नई रिक्तियों के आवंटन में, उनकी प्राथमिकता दी जाती है, जिन्होंने परिवर्तन के लिए आवेदन किया है।

(2) ऐसे अधिकारी जिनमें, इन नियमों के अधीन उसी दाय्य के क्वार्टर आर्बिट्रल किए गए हैं अपने क्वार्टरों के पारस्परिक विनियम के लिए अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा। यदि युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशित है कि दोनों अधिकारी, ऐसे विनियम के अनुमोदन की तारीख से उसी केन्द्र में कर्तव्य पर और पारस्परिक रूप से विनियम किए गए क्वार्टरों में कम से कम छह मास के लिए रहेंगे, तो नियंत्रक प्राधिकारी पारस्परिक परिवर्तन की अनुज्ञा दे सकेगा।

अनु० नि० 317-26-न-14

कठिन स्थान—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, किसी कठिन स्थान पर शिफ्ट ड्यूटी पूरा और साधारण स्थल में क्वार्टरों के आवंटन में, उन अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो उस स्थान पर अन्य स्तरों से स्थानान्तरण पर आए और किसी स्थानीय शर्तों किए गए अधिकारी, को, किसी क्वार्टर का आवंटन तब किया जाएगा, जब क्वार्टरों की दाय्य के सुसंगत रीस्टर में ऐसे कोई अधिकारी नहीं है, जो उस केन्द्र में बाहर से स्थानान्तरण पर आए हैं।

अनु० नि० 317-26-न-15

प्रकीर्ण उपबन्ध—(1) ऐसे अधिकारी से जिसे कोई क्वार्टर आर्बिट्रल किया गया है, जब वह क्वार्टर को अधिभोग में लेता है, या क्वार्टर को छोड़ी करता है, संबंधी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रश्नों में यथास्थिति अधिभोग रिपोर्ट या खाली करने की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी। ऐसा आर्बिट्रल जो, अस्थायी कर्मचारी है, आकांक्षणी में नियोजित किसी स्थाई सरकारी कर्मचारी की आर्बिट्रल क्वार्टर को अधिभोग में लेते समय छोटी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रश्न में प्रतिभूति देगा। अनु-कल्पत क्वार्टर की वास्तु अनुमति फीस, प्रतिमास उससे अधिक बसूल की जाएगी, और ऐसा निशेष, जिसकी राशि नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी, इन और विद्युत प्रभारों के संदाय के लिए अवधान राशि के रूप में लिया

जाएगा: परन्तु यह कि नियंत्रक प्राधिकारी निशेष की राशि में, आर्बिट्रल की सुविधाओं को उपभोग करने की प्रवृत्ति के आधार पर, और समय समय पर, आवश्यक हो, परिवर्तन करने के लिए संवक्त होगा। जिसमें कि निशेष के रूप में उद्धृत राशि की वास्तु सरकार को कोई हानि न हो।

(2) ऐसा अधिकारी जिसको कोई क्वार्टर आर्बिट्रल किया गया है, क्वार्टर और परिवार को, नियंत्रक प्राधिकारी के समाधान प्रद रूप में, स्वच्छ और साफ बसा में बनाने रखेगा।

(3) ऐसा अधिकारी जिसको कोई क्वार्टर आर्बिट्रल किया गया है परिवार में नियंत्रक प्राधिकारी की सहमति से ही कोई पेट काट गिराने या कूटने की अनुज्ञा नहीं देगा।

(4) यदि कोई अधिकारी जिसे कोई क्वार्टर आर्बिट्रल किया गया है नियमों या आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करता है या स्वयं कवाचार करता है, या अन्य अनुमतिधारियों को भोग पहुंचाता है या क्वार्टरों या प्रांगण का उपयोग करने देता है जो अनुपयुक्त ममता जाता है तो, नियंत्रक प्राधिकारी

(क) आवंटन रद्द कर सकेगा, और

(ख) उसे विनिर्दिष्ट शर्तों के लिए क्वार्टर के आवंटन के लिए अपात्र घोषित कर सकेगा।

(5) सरकार अपने को इन नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों या छूटों का, महानिदेशक या उसके नियंत्रणाधीन किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह अधिरोपित करना उपयुक्त ममाने, प्रत्याभोजित कर सकेगा।

(6) इन नियमों के उपबन्ध को भिन्न करने की शक्तियों, सरकार में निहित है जो वह लेख्यत किया जाने वाले कारणा से, कर सकेगी।

(7) यदि इन नियमों के निर्बंधन के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसे विनिश्चय के लिए सरकार को निरिष्ट किया जाएगा।

अनु० नि० 317-16-न-16

(ii) निरसन—इन नियमों के प्रारम्भ होने पर उच्च शक्ति प्रेषित स्थल जाकाशकणी क्रिप्टे कीप इन्डस्ट्री में आर्बिट्रल क्वार्टरों के आवंटन के लिए नियम, जो उच्च शक्ति प्रेषित और अन्य केन्द्रों में प्रवृत्त हैं, निरसित हो जाएगी और इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कर्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन ही गई समझी जाएगी।

[फा० सं० नं० 11014/45/73-ए० एच की०]
हकवान कृष्ण, अवर सचिव

क्रम सं०	स्थान
पहली अनुसूची [नियम 2 (ग) देखें] वांछित स्थानों की सूची	
1.	ऐजबाल
2.	अगरतला
3.	डिब्रूगढ़
4.	इम्फाल
5.	कोहिमा
6.	लेह
7.	पासीघाट
8.	शंग
9.	तेज
10.	छतरपुर
11.	अम्बिकापुर
12.	जयदलपुर
13.	जैपुर

दूसरी अनुसूची
[नियम 4(2) देखें]
नियंत्रक प्राधिकारी की सूची।

क्रम सं.	केन्द्र	नियंत्रक प्राधिकारी
1.	अगरतला	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, अगरतला
2.	अहमदाबाद	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, अहमदाबाद
3.	ऐजबाल	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, ऐजबाल
4.	अजमेर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, अजमेर
5.	अम्बिकापुर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, अम्बिकापुर
6.	अलीगढ़	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, अलीगढ़
7.	बंगलौर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, बंगलौर
8.	भागलपुर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, भागलपुर
9.	बोपाल	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, बोपाल
10.	भुवनेश्वर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, भुवनेश्वर
11.	बुल	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, बुल
12.	बीकानेर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, बीकानेर
13.	मुम्बई	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, मुम्बई
14.	कलकत्ता	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, कलकत्ता
15.	कालीकट	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, कालीकट
16.	छतरपुर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, छतरपुर
17.	कोयंबटूर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, कोयंबटूर
18.	कुड्डपा	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, कुड्डपा
19.	कटक	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, कटक
20.	दम्भगा	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, दम्भगा
21.	धरमपुर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, धरमपुर
22.	डिब्रूगढ़	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, डिब्रूगढ़
23.	मंगलौर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, मंगलौर
24.	गोहाटी	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, गोहाटी

क्र० सं० केन्द्र	नियंत्रक प्राधिकारी	
25.	गोरखपुर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, गोरखपुर
26.	गुलबर्ग	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, गुलबर्ग
27.	गान्धिनगर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, गान्धिनगर
28.	हैदराबाद	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, हैदराबाद
29.	इकान	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, इकान
30.	जयपुर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, जयपुर
31.	जगदलपुर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, जगदलपुर
32.	जयपुर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, जयपुर
33.	जलगाँव	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, जलगाँव
34.	जम्मू	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, जम्मू
35.	जोधपुर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, जोधपुर
36.	कानपुर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, कानपुर
37.	कोहिमा	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, कोहिमा
38.	कुसियाग	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, कुसियाग
39.	लेह	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, लेह
40.	लखनऊ	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, लखनऊ
41.	मद्रास	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, मद्रास
42.	मंगलौर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, मंगलौर
43.	मैसूर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, मैसूर
44.	नागपुर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, नागपुर
45.	नजीबाबाद	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, नजीबाबाद
46.	पणजी	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, पणजी
47.	परभणी	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, परभणी
48.	पासीघाट	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, पासीघाट
49.	पटना	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, पटना
50.	पाण्डिचेरी	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, पाण्डिचेरी
51.	पुणे	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, पुणे
52.	पॉर्टब्लेयर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, पॉर्टब्लेयर
53.	रायपुर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, रायपुर
54.	राजकोट	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, राजकोट
55.	रामपुर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, रामपुर
56.	रांची	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, रांची
57.	रत्नागिरि	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, रत्नागिरि
58.	रीवा	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, रीवा
59.	राष्ट्रक	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, राष्ट्रक
60.	सम्बलपुर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, सम्बलपुर
61.	सांगली	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, सांगली
62.	शिलांग	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, शिलांग
63.	सितंबर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, सितंबर
64.	सिम्लीगुडी	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, सिम्लीगुडी
65.	शिमला	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, शिमला
66.	श्रीनगर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, श्रीनगर
67.	तबगा	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, तबगा
68.	तेज	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, तेज
69.	तिरुचिरापल्ली	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, तिरुचिरापल्ली
70.	तिरुनेलवेली	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, तिरुनेलवेली

क्रम सं०	केन्द्र	नियंत्रण प्राधिकार	क्रम सं०	केन्द्र	1	2	3	4
71	भिक्षूर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, भिक्षूर			2	उच्च शक्ति प्रेषित राजकोट	टाईप जिम्मे लिए हकदार है जिसके न हो सकने पर अन्य टाईप I क्वार्टर टाईप जिसके लिए वह हकदार है जिसके न हो सकने पर अन्य टाईप 2 क्वार्टर	अधीक्षण इजीनियर केन्द्रीय इजीनियर (दो पद)
72	त्रिवेन्द्रम	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, त्रिवेन्द्रम						
73	उदयपुर	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, उदयपुर						
74	बदोबरा	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, बदोबरा						
75	वाराणसी	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, वाराणसी						
76	विजयवाडा	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, विजयवाडा			3	टाईप शक्ति प्रेषित खामपुर	टाईप जिम्मे लिए हकदार है जिसके न हो सकने पर अन्य टाईप I क्वार्टर टाईप जिसके लिए हकदार है जिसके न हो सकने पर अन्य टाईप I क्वार्टर	अधीक्षण इजीनियर केन्द्र इजीनियर
77	विशाखापट्टनम	आकाशवाणी कार्यालय प्रधान, विशाखापट्टनम						
78	आकाशवाणी, नई दिल्ली के प्रसारण केन्द्र में क्वार्टर	प्रशासन उपनिदेशक (एच) आकाशवाणी महा-निदेशालय नई दिल्ली						
79	मुख्य इजीनियर (घार एच डी) नई दिल्ली के कार्यालय में क्वार्टर	मुख्य इजीनियर (घार एच डी), आकाशवाणी, नई दिल्ली।			4	उच्च शक्ति प्रेषित किर्जवे	टाईप जिसके लिए हकदार है जिसके न हो सकने पर अन्य टाईप I क्वार्टर	अधीक्षण इजीनियर
80	उच्च शक्ति प्रेषित आकाशवाणी, अलीगढ़	उच्च शक्ति प्रेषित का कार्यालय प्रधान, आकाशवाणी अलीगढ़।			5	उच्च शक्ति प्रेषित अवाही	टाईप जिम्मे लिए हकदार है जिसके न हो सकने पर अन्य टाईप I क्वार्टर टाईप जिसके लिए हकदार है जिसके न हो सकने पर अन्य टाईप 2 क्वार्टर	अधीक्षण इजीनियर केन्द्र इजीनियर
81	उच्च शक्ति प्रेषित अलेप्पी	उच्च शक्ति प्रेषित का कार्यालय प्रधान, आकाशवाणी, अलेप्पी						
82	उच्च शक्ति प्रेषित अवाही	उच्च शक्ति प्रेषित का कार्यालय प्रधान, आकाशवाणी, अवाही						
83	उच्च शक्ति प्रेषित चिनमुरा	उच्च शक्ति प्रेषित का कार्यालय प्रधान, आकाशवाणी, चिनमुरा			6	उच्च शक्ति प्रेषित मलाह	टाईप जिसके लिए हकदार है जिसके न हो सकने पर अन्य टाईप 2 क्वार्टर	अधीक्षण इजीनियर और केन्द्र इजीनियर
84	उच्च शक्ति प्रेषित गौराया	उच्च शक्ति प्रेषित का कार्यालय प्रधान, आकाशवाणी, गौराया			7	उच्च शक्ति प्रेषित चिनमुरा	टाईप जिम्मे लिए हकदार है जिसके न हो सकने पर अन्य टाईप 3 क्वार्टर	अधीक्षण इजीनियर और केन्द्र इजीनियर
85	उच्च शक्ति प्रेषित खामपुर	उच्च शक्ति प्रेषित का कार्यालय प्रधान, आकाशवाणी, खामपुर						
86	उच्च शक्ति प्रेषित किर्जवे	उच्च शक्ति प्रेषित का कार्यालय प्रधान, आकाशवाणी, किर्जवे			8	उच्च शक्ति प्रेषित गौराया	टाईप जिम्मे लिए हकदार है जिसके न हो सकने पर अन्य टाईप 1 क्वार्टर	अधीक्षण इजीनियर (दो पद)
87	उच्च शक्ति प्रेषित मलाह	उच्च शक्ति प्रेषित का कार्यालय प्रधान, आकाशवाणी, मलाह						
88	उच्च शक्ति प्रेषित राजकोट	उच्च शक्ति प्रेषित का कार्यालय प्रधान, आकाशवाणी, राजकोट।						

चौथी अनुसूची

[नियम 5(1) और (3) देखें]

दो प्रतियो में भरा जाए

तीसरी अनुसूची

[नियम 4(1) देखें]

क्रम सं०	उच्च शक्ति प्रेषित	क्वार्टर की टाईप	सम्बद्ध पद
1	2	3	4
1	उच्च शक्ति प्रेषित अलीगढ़	टाईप जिम्मे लिए हकदार है। जिसके न हो सकने पर अन्य टाईप I क्वार्टर	अधीक्षण इजीनियर
		जिसके लिए हकदार है जिसके न हो सकने पर अन्य टाईप 2 क्वार्टर	केन्द्र इजीनियर (दो पद)

- अधिकारी का नाम
- पदनाम
- कार्यालय जहां तैनात है
- स्थायी या अस्थायी
- वर्तमान उपलब्धियां
- क्वार्टर का टाईप जिसके लिए हकदार है
- तारीख जब से लगातार सरकारी नियोजन में है
- क्या शिफ्ट ड्यूटी करता है
- स्थानांतरणों की विशिष्टियां जिनके अन्तर्गत वर्तमान स्थान से स्थानांतरण भी है।
- स्थान का नाम
- तैनाती की अवधि से तक

बीषणा

प्ररूप-2

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने क्वार्टरों के आबंटन को शासित करने वाले नियम पढ़ लिए हैं और मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा उपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं तथा मुझे आबंटित किया जाने वाला या पहले ही आबंटित किया गया आबंटन इन नियमों, तथा उनके पश्चात्पर्वती संशोधनों के यदि कोई हो अधीन होगा। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरी वर्तमान तैनाती के स्थान या स्थानीय या साथ लगी हुई नगर-पालिका में मेरे या मेरे कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में कोई मकान नहीं है।

स्थान :

अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख

प्रमाणित रूप से केंद्र (नगर) का प्रभावी परिवर्तन अभिप्रेत है जिसे प्रमाणित छुट्टी से बिना छुट्टी को अधिक को छोड़कर एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कर्तव्य अंतर्भूत है।

(अधिकारी के प्रमाणित कार्यालय द्वारा भरा जाए)

नाम

तारीख

नियंत्रक प्रमाणित करने वाले को अप्रेषित अधिनियम द्वारा कथित तथा प्रमाणित कर लिए गए हैं और सही हैं।

हस्ताक्षर

पदनाम

पाचदश अनुसूची

[नियम 15 (1) देखें]

प्ररूप-1

अधिभोग रिपोर्ट :

1. आबंटन की तारीख :
2. सेवक के क्वार्टर सहित क्वार्टर :
स :
3. नाम :
4. पदनाम :
5. अधिभोग प्राप्त करने की तारीख :
6. मकान में लगाए गए विद्युत के पंखों की संख्या :
7. मकान में फिट किए गए लाइट प्वाइंटों की संख्या :
8. साकेट और प्लगों की संख्या :
9. मकान में अन्य फिक्स्चरों की सूची, जैसे वायुबैशिन डब्ल्यू सी जालियाँ प्रावि :
10. विद्युत मीटर की रीडिंग :
11. पानी के मीटर की रीडिंग :

मैं भ्रमश्रुता हूँ कि जब तक मैं इस क्वार्टर में रहूँगा मैं क्वार्टर को होने वाली किसी हानि या नुकसान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूँगा।

अधिभोगी के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

खाली करने की रिपोर्ट

1. आबंटन की तारीख :
2. नौकर के क्वार्टर सहित क्वार्टर सं० :
3. नाम :
4. पदनाम :
5. खाली करने की तारीख :
6. मकान में लगाये गये विद्युत के पंखों की संख्या :
7. मकान में लगाये गये लाइट प्वाइंटों की संख्या :
8. मकान में अन्य फिक्स्चरों की सूची जैसे वायुबैशिन डब्ल्यू सी जालियाँ प्रावि विद्युत :
9. विद्युत मीटर की रीडिंग :
10. पानी के मीटर की रीडिंग :

खाली करने वाले के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख :

छटवीं अनुसूची

प्रतिभू बंध-पत्र

मैं, श्री _____ जो श्री _____ का पुत्र और इस समय _____ के _____ के रूप में नियोजित हूँ श्री _____ द्वारा उस निवास स्थान के गाँव में, जो सरकार ने उसे अब आबंटित किया है तथा ऐसे अन्य निवास स्थान अनिश्चित वा सुविधा, अनिश्चित सेवक क्वार्टरों या गैरेजों के लिये, जो सरकार उसे समय समय पर आबंटित करें अनुसूचित फीस और अन्य देय रकमों का भारत के राष्ट्रपति को (जिन्हें इसमें प्राये "सरकार" कहा गया है और जिसके अंतर्गत उनके उत्तरवर्ती और समुन्देशित भी हैं) संवाय किये जाने के लिये प्रस्तुत होता हूँ (इसके अंतर्गत मेरे वारिस, निष्ठावक और प्रमाणक भी हैं)।

मैं, अर्थात् प्रतिभू उस समय तक जब तक उसका कब्जा सरकार को परिचालन नहीं कर दिया जाता मनी हानि और नुकसानों के लिये सरकार को अतिपूर्ति करूँगा। मैं, अर्थात् प्रतिभू सरकार द्वारा मांग की जाने पर तुरन्त तथा प्राप्ति किये गये किसी भी रकमों का सरकार का संवाद करने का बचनबंद करता हूँ जो सरकार का उधार बनाये गये रूप में देय हो। मैं करार करता हूँ कि सरकार उक्त रकमों को मुझे गंदय बेतन में से बसूल करने के लिये स्वतंत्र होगी (और सरकार इसके द्वारा ऐसा करने के लिये अप्रतिबंधित रूप से प्राधिकृत होगी)। इस प्रकार बसूल की जाने वाली रकम के बारे में सरकार का विनिश्चय प्रतिम होना।

मेने जो वाध्यताएं स्वीकार की हैं वे सरकार द्वारा समय वा _____ ताने या उक्त श्री _____ (आबंटित का नाम) से प्रति अन्य उदारता बरों जाने के कारण या किसी भी अन्य विषय वा पर ऐसी बात से न तो उन्मोचित होगी और न प्रभावित होगी, जिनका प्रतिभूओं से संबंधित विधि के अधीन प्रभाव यदि वह उपबध न होता तो मुझे मेरे ऐसे वायिव्य से नियुक्त करना होता।

यह प्रत्याभूति न तो मेरी मृत्यु से उन्मोचित होगी और न ही मैं सरकार को लिखित महमति के बिना तब तक किसी भी समय उसका प्रतिसंहरण कर सकूँगा जब तक ऐसे किसी निवास-स्थान सेवक क्वार्टर या गैरेज का जो आबंटित के अधिभोग में है खाली कब्जा सरकार को परिचालन नहीं कर दिया जाता है।

परन्तु यह प्रत्याभूति उस तारीख से तथ्यतः समाप्त हो जायेगी जिन तारीख को श्री _____ को भारत सरकार को किसी सेवा में स्थायी या स्थाईवत घोषित किया जाता है।

सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि हम वस्तुविज्ञ पर जो भी स्टाम्प शुल्क देना होगा उसे सरकार देगी।

नई दिल्ली में आज तारीख -----को उक्त ----- ने हम पर हस्ताक्षर किये और परिश्रम किया।

साक्षी के हस्ताक्षर ----- (प्रतिभू के हस्ताक्षर)

उमका पता ----- पदनाम ----- और उमका व्यवसाय -----
----- कार्यालय जिसमें संलग्न है

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रतिभू स्याई सरकारी सेवक है जगकी आयु ----- है और उमका वेतन ----- रु० है।

उस विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर जिसके कार्यालय में प्रतिभू नियोजित है

कार्यालय स्टाम्प

सातवीं अनुसूची

[नियम 2(घ) देखें]

शिपट ड्युटी कर्मचारिवृन्द:

1. कार्यक्रम कर्मचारिवृन्द

(1) प्रेषण अधिशासक

2. सम्पादकीय कर्मचारिवृन्द :

(2) उपसम्पादक

(3) मानीटर (विदेशी भाषा)

3. इंजीनियरी कर्मचारिवृन्द :

(4) ज्येष्ठ इंजीनियर सहायक

(5) इंजीनियरी सहायक

(6) तकनीकी (ज्येष्ठ)

(7) तकनीकी

(8) डीजल इंजन चालक

(9) टेनीमान्शन प्रापरेटर

(10) रेडियो तकनीकी

4. मनुसंविधीय और प्रकीर्ण कर्मचारिवृन्द :

(11) समाचार सेवा प्रभाग में अणुलिपिक

(12) समाचार सेवा प्रभाग में लिपिक श्रेणी-2

(13) मोटर चालक

(14) टेलिप्रिन्टर अपरेटर

(15) परिवहन सहायक

(16) स्टूडियो परिचर

(17) स्टूडियो परिचर

(18) टेनीकान परिचर / प्रापरेटर

(19) स्टूडियो अधिशासक

(20) क्लोनर/मददगार

(21) खलाशी

(22) फग्ग

(23) सफाईवाला

(24) अपरासी

(25) गैंगेन्टर प्रापरेटर

(26) शफतरी

समाचार सेवा प्रभाग में

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 20th July, 1984

G.S.R. 949.—In exercise of the powers conferred by rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules further to amend the Supplementary Rules issued with the Government of India, Finance Department's letter No. 104-CSR, dated the 4th February, 1982, namely:—

In part VIII of the said Rules, after S.R. 317 the following heading namely:—"Division XXVI-T" shall be inserted.

S.R. 317—XXVI-T-1

1. Short title and commencement.—The rules in this Division may be called the All India Radio (Allotment of Residential Quarters) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

S.R. 317—XXVI-T-2

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires:—

(a) "Allotment" means the grant of licence to occupy a quarter in accordance with the provisions of these rules;

(b) "Allotment year" means the year beginning on the 1st January or such other period as may be notified by the Director General;

(c) "Difficult Places" means places specified in the First Schedule annexed to these rules and include any other places as may be notified by the President;

(d) "Director General" means the Director General, All India Radio;

(e) "Emoluments" means the meaning assigned to it in Fundamental Rule 45-C, but excludes compensatory allowance. For staff artist fee has the same meaning as pay;

Explanation:—In the case of an Officer who is under suspension, the emoluments drawn by him on the first day of the allotment year in which he is placed under suspension, or if he is placed under suspension on the first day of the allotment year, the emoluments drawn by him immediately before that date shall be taken as emoluments;

(f) "Family" means wife or husband, as the case may be, and children, step-children, legally adopted children, parents, brothers or sisters as ordinarily reside with and are dependent on the officer;

(g) "Government" means the Central Government unless the context otherwise requires.

(h) "Head of office" means the officer declared as head of office under rule 14 of the Delegation of Financial Power Rules, 1978 in respect of radio station or any subordinate office of the All India Radio;

(i) "House" in relation to an officer or member of his family means a building or part thereof used for residential purposes and situated within the jurisdiction of a local municipality or of any adjoining municipality.

Explanation.—A building, part of which is used for residential purposes, shall be deemed to be a house for the purposes of this clause notwithstanding that any part of it is used for non-residential purposes;

(j) "Licence Fee" means the sum of money payable monthly in accordance with the provisions of the Fundamental Rules in respect of a quarter allotted under these rules, in case of Government servants who or any member of whose family owns a house

or becomes owner of a house after the allotment of the Government quarter at the place of his duty, the licence fee will be as per Government orders issued from time to time.

- (k) "Member of Family" in relation to an officer means the wife or husband, as the case may be or a dependent child of the officer;
- (l) "Municipal ty" includes a municipal corporation, a municipal committee or board, a town area committee, a notified area committee and a cantonment board.
- (m) "Adjoining Municipality" means any municipality contiguous to a local municipality,
- (n) "Local Municipality" in relation to an officer means the municipality within whose jurisdiction his office is located.
- (o) "Officer" means a member of the staff of the All India Radio including regular staff artistes.
- (p) "Priority Date" of an officer in relation to a type of quarter for which he is eligible under the provisions of S.R. 318-XXVI-T-7, means the earliest date from which he has been continuously drawing emoluments relevant to a particular type or a higher type in a post under the Central Government or a State Government or on foreign service or as a staff artist, except for period of leave :

Provided that in respect of a type A, type B, type C or type D quarter, the date from which the officer has been continuously in service under the Central Government or the State Government (including the periods of foreign service) shall be his priority date for that type :—

Provided further that where the priority dates of two or more officers are the same, seniority among them shall be determined by the amount of emoluments, the officer in receipt of higher emoluments taking precedence over the officer in receipt of lower emoluments, and where the emoluments are equal, by length of service:

Provided also that in respect of officers who come to a station on transfer, a pool of quarters will be reserved to the extent necessary and in keeping with the other provisions of the rules relating to shift duty staff entitlement, concessional period of retention, etc.

Explanation.—In cases referred to in the third proviso, transfer would mean effective change of station (city) involving duty for one year or more excluding periods of leave other than casual leave;

- (q) "Quarter" means any residential accommodation for the time being under the administrative control of Controlling Authority defined in explanation under T-4(2) and specified in the Second Schedule;
- (r) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules;
- (s) "Shift Duty Staff" means staff performing shift duty in terms of orders contained in the Ministry of Information and Broadcasting letter No. 12(1)/74-B(A) dated the 31st December, 1973 (as amended from time to time) and belonging to categories specified in the said order, appended to these rules as the Seventh Schedule;
- (t) "Subletting" includes sharing or accommodation by an allottee with any person other than the members of his family with or without payment of licence fee by such other person;
- (u) "Type in relation to an officer" means the type of residence to which he is eligible under S.R. 318—XXVI-T-7.

S.R. 317—XXVI-T-3

1 Eligibility for allotment of a quarter.—The quarters available at All India Radio Stations specified in column 1 of the Second Schedule shall be under the overall charge of the Controlling Authority specified in corresponding entry in

column 2 of that Schedule and all officers working at the All India Radio at the said stations shall be eligible for allotment :

Provided that the quarters at high power transmitters specified in the Third Schedule shall be allotted to the staff of that high power transmitter only.

(2) No officer shall be allotted a quarter under these rules if the wife or the husband, as the case may be, of the officer has already been allotted a quarter at the same station from any other pool controlled by the Central Government or the State Government or a local body or a public sector undertaking and if an officer who has been allotted a quarter under these rules marries a person in possession of a quarter belonging to another pool of accommodation, that officer shall vacate the quarter allotted to him or her under these rules within one month from the date of the marriage :

Provided that if the husband and wife are both working at the same All India Radio Station the Officer whose turn for allotment comes first shall be eligible for allotment of quarter.

S.R. 318-XXVI-T-4

(1) Distribution of accommodation.—At the high power transmitters specified in column 2 of the Third Schedule, quarters specified in column 3 thereof shall stand attached to the posts specified in corresponding entry in column 4 of that Schedule.

(2) At each All India Radio Station other than a High Power Transmitter, irrespective of the priority date of the officer, a quarter of the entitled type where available, and where that is not available, a quarter of a higher/lower type available shall be earmarked for allotment—

- (a) to the Controlling Authority;
- (b) where the Controlling Authority is a station director or assistant station director, to the seniormost engineering officer;
- (c) where the Controlling Authority is an engineering officer to the seniormost programme officer:

Provided that if a quarter so earmarked is likely to remain vacant for a minimum period of three months, it may be allotted to any officer in term of S.R. 318-XXVI-T-12.

Explanation.—The Controlling Authority in respect of each All India Radio Station or any subordinate office will be the Head of Office as specified in the second Schedule.

(3) The quarters at transmitting centres and receiving centres specifically built for the security guards shall stand attached to the post where the number of posts exceeds the number of quarters, the allotment shall be made in accordance with these rules :

Provided that if a quarter so earmarked is likely to remain vacant for a minimum period of 3 months, it may be allotted to any officer in terms of S.R. 317-XXVI-T-12.

(4) The remaining available quarters at a station shall be distributed in two pools, namely :—

- (i) 'Shift Duty Pool'
- (ii) 'General Pool'

(5) The quarters available under para 4 above shall be distributed between the Shift Duty Pool and General Pool in the ratio of 7 : 3.

(6) The quarters in the Shift Duty Pool shall be allotted only to the shift duty staff as defined in S.R. 318-XXVI-T-2(S) on the basis of priority dates

(7) The quarters in the General Pool shall be allotted to all other members of the staff of All India Radio on the basis of priority dates :

Provided that the shift duty staff shall be entitled to quarters in the General Pool also on the basis of priority dates—

(8) Allottees of quarters in the Shift Duty Pool shall be under obligation to make themselves available for duty at call. The Controlling Authority shall notify the number of quarters available for allotment in the Shift Duty Pool on the basis of applications from shift duty staff. The allotment of quarters to these shift duty staff in the Shift Duty Pool will be on the basis of priority dates as among themselves;

Provided at the same time allotment will be made to each category of posts included in the complement of Shift Duty staff notwithstanding their inter-se priority.

(9) A person who is allotted a quarter in the Shift Duty Pool may continue to remain in occupation of that quarter even on promotion provided he continues to make himself available for duty at call. The performance of duty at call by the allottees of quarters in the Shift Duty Pool may be reviewed once in six months and even earlier if the controlling Authority so decides and the allotments of those known to have failed to respond to calls for duty may be cancelled by the Controlling Authority. A notice of 15 days shall be given in such cases before cancellation becomes effective. The decision of the Controlling Authority in such cases shall be final.

S.R. 317-XXVI-T-5

(1) Maintenance of roster for allotment.—Every officer eligible for allotment of a quarter shall make an application to the concerned Controlling Authority alongwith his particulars in the form specified in the Fourth Schedule. The information furnished in the form shall be authenticated by the officer in which the officer is working. The Controlling Authority shall, on the basis of the "Priority dates" of the officers draw up separate rosters for Shift Duty Pool and for General Pool in respect of each type of accommodation. An officer with an earlier priority date shall be placed higher in the roster than an officer with later priority date.

(2) Allotment of quarters in the Shift Duty Pool and General Pool will be made in accordance with the place of individual officer on the roster.

(3) The roster referred to in sub rule (1) shall be kept up dated. It shall be necessary for every officer newly posted to a station to furnish within two weeks of assuming charge, his particulars in the form specified in the Fourth Schedule to the Controlling Authority who shall, on receipt of the particulars make the necessary changes in the relevant roster.

(4) A waiting list giving the first five names in the rosters for each type of accommodation shall be displayed on the notice board for the information of all concerned on the first of each month.

S.R. 317-XXVI-T-6

(1) Penalties on non acceptance of the allotment.—The incumbent of a post to which a quarter has been attached shall be considered to be in occupation of the quarter during the period of his incumbency and shall be liable to pay licence fee thereon unless the allotment is cancelled.

(2) In cases when the allotment made (on the basis of the roster drawn up) by the Controlling Authority is refused or the quarter is surrendered after accepting, the officer shall be liable to the following penalties from the date of allotment of the quarter :—

(i) He shall be debarred from allotment of quarter for a period of one year,

(ii) The house rent allowance shall not be admissible to him for period he remains debarred from further allotment of accommodation;

Provided that the name of the officers debarred will remain on the roster after the expiry of the debarment period.

Provided further that the provisions of this sub-rule shall not apply to persons in respect of whom a general or special order is issued by Government from time to time exempting them from the operation of this sub-rule for any specified period.

Explanation:—The penalties under this rule shall cease to have effect when the officer concerned is transferred from the Station.

S.R. 317-XXVI-T-7

(1) Classification of quarters.—Save as otherwise provided under these rules, an officer shall be eligible for allotment for a quarter of the type shown in the table below :—

Type of quarters	Category of officer or his monthly emoluments on the first day of the allotment year in which the allotment is made.
A	Less than Rs. 260/-
B	Less than Rs. 500/- but not less than Rs. 260/-
C	Less than Rs. 1,000/- but not less than Rs. 500/-
D	Less than Rs. 1,500/- but not less than Rs. 1,000/-
E	Rs. 1500/- and above.

(2) All quarters shall be classified under the types mentioned in sub-rule (1).

(3) When an allottee becomes entitled to a higher type of quarter by virtue of increase in his emoluments, he shall be allowed to retain the quarter of the lower type until such time as a quarter in the higher type is allotted to him. If the said allottee, on increase of his emoluments refuses to shift to the higher type allotted to him, he shall be liable to pay licence fee for higher type of quarter even though he continues to retain lower type.

S.R. 317-XXVI-T-8

Provision relating to licence fee.—When an allotment of quarter has been made, the liability for payment of licence fee shall commence from the date of occupation or the eighth day from the date of receipt of the allotment whichever is earlier.

S.R. 317-XXVI-T-9

(1) Period of retention of quarter.—A quarter allotted to an officer may be retained on the happening of any of the events specified in column 1 of the Table below for the period specified in the column 2 thereof, provided that the quarter is required for the bona fide use of the officer or members of his family, provided that in respect of quarters attached to the post at high power transmitters cited in sub-rule (1) of rule T-4 or to posts at All India Radio stations, other than those at high power transmitters cited in sub-rule (2) of rule T-4 or to posts of security guards at transmitting or receiving centres cited in sub-rule (3) of rule T-4 except in special cases where for reasons to be recorded in writing the government may allow an officer to retain quarter for a period not exceeding one month from the date of transfer of the officer on payment of twice the standard licence fee under F.R. 45-A, no retention as at (i) to (iv), (vii), (x) and (xi) of the table appended below is permissible.

Events	Permissible period for retention of the quarters.
(1)	(2)
(i) Resignation, dismissal or removal from service, termination of service, or unauthorised absence without permission.	1 months
(ii) Retirement or terminal leave	2 Months
(iii) Death of the allottee	4 Months
(iv) Transfer to a Place outside the station	3 Months
(v) On proceeding on foreign service in India.	2 Months
(vi) Temporary transfer in India.	4 Months
(vii) Transfer to a place outside India.	4 Months
(viii) Leave (other than leave preparatory to retirement refused leave, terminal leave, medical leave or study leave)	For the period of leave but not exceeding 4 months

1	2
(a) Maternity leave	For the period of maternity leave plus the leave granted in continuation subject to maximum of 5 months.
(ix) Leave preparatory to retirement or refused leave granted under Fundamental Rule 86 or earned leave granted to Government servant who retires under Fundamental Rule 56(1).	For the full period of leave on full average pay subject to a maximum of 4 months inclusive of the period permissible in the case of retirement.
(x) Study leave in or outside India	(a) In case the officer is in occupation of accommodation below his entitlement, for entire period of study leave. (b) In case the officer is in occupation of his entitled type of accommodation for the period of study leave but not exceeding 6 months: Provided that where the study leave extends beyond six months, he may be allotted alternative accommodation one type below his entitlement on the expiry of six months, or from the date of commencement of study leave, if he so desires.
(xi) Deputation outside India—Period not exceeding 6 months.	
(xii) Leave on medical grounds—Full period of leave.	
(xiii) On proceeding for training—Full period of training.	

(2) The allotment of quarters shall automatically stand cancelled on the expiry of the period mentioned in column 2 of the Table aforesaid.

(3) Where an Officer is on medical leave without pay and allowances, he may retain his quarter by virtue of the concession under item (xii) of the Table below T-9 sub-rule (1) provided he remits the licence fee for such quarter in cash every month and where he fails to remit such licence fee for more than two months, the allotment shall stand cancelled.

S. R. 317-XXVI-T-10

Overstay in quarters after cancellation of allotment.—Where, after an allotment has been cancelled or is to be cancelled under any provisions contained in these rules and the quarter remains or has remained in occupation of the officer to whom it was allotted or of any person claiming through him, such officer shall be liable to pay licence fee at penal rate as may be determined from time to time. To obtain vacant possession of the quarter, the Controlling Authority may, besides levy of penal rent, also undertake eviction proceedings under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1971 :

Provided that, in special cases and for reasons of education of children or serious sickness of a member of family to be recorded in writing, the Director General may allow an officer to retain a quarter on payment of twice the standard licence fee under Fundamental Rule 45-A for a period not exceeding 6 months beyond the period permitted under S. R. 318-XXVI-T-9.

S. R. 318-XXVI-T-11

Subletting and sharing of quarter.—The officer to whom a quarter has been allotted shall not sublet it either wholly

or in part including any of the out houses attached to it to any person. However, sharing of quarter with employees of All India Radio posted at the same place and eligible for allotment of quarter under these rules is permissible provided permission of the Controlling Authority in this regard has been obtained in writing. In case an allottee sublets or shares the quarter with another without the prior permission of the Controlling Authority, a show cause notice shall be served on him to explain within 5 days why the allotment made to him shall not be cancelled. If the explanation furnished by the allottee is not satisfactory, the allotment may be cancelled by the Controlling Authority with effect from the date of unauthorised subletting or sharing. The allottee shall be charged licence fee at penal rate from the date of cancellation of the allotment. The decision of the Controlling Authority in the matter shall be final.

S. R. 317-XXVI-T-12

Allotment of higher/lower type of quarter under special conditions.—When a quarter falls vacant and there is no eligible person on the roster, the Controlling Authority may, if he is satisfied that the quarter is likely to remain vacant for a minimum period of 3 months, offer the quarter to any officer or to more than one officer who is entitled to a quarter. The officer shall be subject to the following conditions :

1. The quarter would be vacated when an eligible person on the roster applies for it. A notice of ten days will be given to such allottee for vacating the quarter.
2. The officer shall pay standard licence fee under FR-45-A of the quarter if the quarter occupied by him is of a type higher than his entitlement and licence fee to be recovered shall be 10 per cent of the emoluments or standard licence fee under F. R. 45-A whichever is less in case the officer is allotted a quarter of a type lower than his entitlement. In case a quarter of higher type is allotted to more than one officer on sharing basis, the licence fee to be recovered shall be 10 per cent of the emoluments from each of the shares whose combined monthly emoluments shall not be less than pay limits specified for that type of quarter in table under S. R. 318-XXVI-T-7.
3. The allottee(s) shall not put up any structures unauthorisedly.
4. Such allotment shall not confer on the allottee(s) any right to alternate accommodation.
5. Allotment of quarters under this rule will not disturb the priority date of the officer in that roster for the entitled type.

S. R. 317-XXVI-T-13

Change and mutual exchange of quarter.—(1) An officer to whom a quarter has been allotted may apply for and be allowed a change of quarter of the same type :

Provided that not more than one change shall be allowed at the same station in respect of the type of quarter allotted to the officer ;

Provided further that a roster for change of quarters shall be maintained and preference in allotment of new vacancies is given to those who have applied for change.

(2) Officers to whom quarters of the same type have been allotted under these rules may apply for permission to mutually exchange their quarters. The Controlling Authority may grant permission for mutual exchange if both the officers are reasonably expected to be on duty at the station and to reside in their mutually exchanged quarters for at least six months from the date of approval of such exchange.

S. R. 317-XXVI-T-14

Difficult-stations.—Notwithstanding anything contained in these rules, in the allotment of quarters in the Shift Duty Pool and General Pool at a difficult place, preference shall be given to those who have come on transfer to that place from other stations and allotment of a quarter to a locally recruited officer shall be made only if, in the relevant roster for the type of quarters, there are no officers who have come to the station on transfer from outside.

S.R. 317-XXVI-T-15

Miscellaneous provisions.—(1) The officer to whom a quarter has been allotted shall be required, when he occupies or when he vacates the quarter, to sign the occupation report or vacation report as the case may be in the forms specified in the Fifth Schedule. An allottee who is a temporary employee, shall furnish surety of a permanent Government servant employed in the All India Radio in the form specified in the Sixth Schedule at the time of occupying the quarter allotted to him. Alternatively licence fee in respect of the quarter shall be recovered from him in cash in advance every month and a deposit, the amount of which is to be determined by the Controlling Authority shall be taken as caution money for payment of water and electric charges:

Provided that the Controlling Authority shall be empowered to vary the amount of deposit as may be necessary from time to time depending on the tendency of the allottee to use the facilities, so that the Government does not suffer any loss in respect of the amount levied as deposit.

(2) The officer to whom a quarter has been allotted shall maintain the quarter and the premises in a clean and tidy condition to the satisfaction of the Controlling Authority.

(3) The officer to whom a quarter has been allotted shall not permit trees on the premises to be felled or lopped, save with the consent of the Controlling Authority.

(4) If an officer to whom a quarter has been allotted commits any breach of rules or conditions of allotment or misbehaves himself or causes annoyance to other licencees or uses the quarter or the compound to be used for any purpose which is considered improper, the Controlling Authority may :—

- (a) cancel the allotment, and
- (b) declare him ineligible for allotment of a quarter for any specified period.

(5) Government may delegate any of the powers or functions conferred upon it under these rules to the Director General or any officer under his control subject to such conditions as it may deem fit to impose.

(6) The powers to relax the provisions of any of these rules vest in Government which may do so for reasons to be recorded in writing.

(7) If any question arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government for decision.

S. R. 317-XXVI-T-16

Repeal. With the commencement of these rules, the Rules for allotment of residential quarters at high power transmitters site, All India Radio, Kingsway-Delhi which are in force at high power transmitters and other stations shall stand repealed and any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

[F. No. D-11014/45/73-A&G]
IQBAL KRISHAN, Under Secy.

THE FIRST SCHEDULE

[See rule 2 (c)]

LIST OF DIFFICULT PLACES

S. No.	Place
1.	Aizwal
2.	Agartala
3.	Dibrugarh
4.	Imphal
5.	Kohima
6.	Leh
7.	Pasighat
8.	Tawang
9.	Tezu
10.	Chattarpur
11.	Ambikapur
12.	Jagdalpur
13.	Jeypore.

THE SECOND SCHEDULE

[See rule 4(2)]

LIST OF CONTROLLING AUTHORITY

S. No.	Station	Controlling authority
1	2	3
1.	Agartala	Head of Office of Radio Station, Agartala
2.	Ahmedabad	Head of Office of Radio Station, Ahmedabad.
3.	Aizwal	Head of Office of Radio Station, Aizwal
4.	Ajmer	Head of Office of Radio Station, Ajmer.
5.	Ambikapur	Head of office of Radio Station, Ambikapur.
6.	Aurangabad	Head of Office of Radio Station, Aurangabad
7.	Bangalore	Head of Office of Radio Station, Bangalore.
8.	Bhagalpur	Head of Office of Radio Station, Bhagalpur
9.	Bhopal	Head of Office of Radio Station, Bhopal
10.	Bhubaneswar	Head of Office of Radio Station, Bhubaneswar.
11.	Bhuj	Head of Office of Radio Station, Bhuj.
12.	Bikaner	Head of Office of Radio Station, Bikaner
13.	Bombay	Head of Office of Radio Station, Bombay
14.	Calcutta	Head of Office of Radio Station, Calcutta.
15.	Calicut	Head of Office of Radio Station, Calicut
16.	Chattarpur	Head of Office of Radio Station, Chattarpur
17.	Coimbatore	Head of Office of Radio Station, Coimbatore
18.	Cuddapah	Head of Office of Radio Station, Cuddapah
19.	Cuttack	Head of Office of Radio Station, Cuttack
20.	Darbhanga	Head of Office of Radio Station, Darbhanga
21.	Dharwar	Head of Office of Radio Station, Dharwar
22.	Dibrugarh	Head of Office of Radio Station, Dibrugarh
23.	Gangtok	Head of Office of Radio Station, Gangtok
24.	Gauhati	Head of Office of Radio Station, Gauhati.
25.	Gorakhpur	Head of Office of Radio Station, Gorakhpur
26.	Gurbarga	Head of Office of Radio Station, Gurbarga
27.	Gwalior	Head of Office of Radio Station, Gwalior
28.	Hyderabad	Head of Office of Radio Station, Hyderabad
29.	Imphal	Head of Office of Radio Station, Imphal.
30.	Jabalpur	Head of Office of Radio Station, Jabalpur.
31.	Jagdalpur	Head of Office of Radio Station, Jagdalpur.
32.	Jaipur	Head of Office of Radio Station, Jaipur.
33.	Jalgaon	Head of Office of Radio Station, Jalgaon
34.	Jammu	Head of Office of Radio Station, Jammu.
35.	Jodhpur	Head of Office of Radio Station, Jodhpur.
36.	Kanpur	Head of Office of Radio Station, Kanpur.
37.	Kohima	Head of Office of Radio Station, Kohima.
38.	Kursong	Head of Office of Radio Station, Kursong.
39.	Leh	Head of Office of Radio Station, Leh
40.	Lucknow	Head of Office of Radio Station, Lucknow.
41.	Madras	Head of Office of Radio Station, Madras.
42.	Mangalore	Head of Office of Radio Station, Mangalore.
43.	Mysore	Head of Office of Radio Station, Mysore.
44.	Nagpur	Head of Office of Radio Station, Nagpur
45.	Najibabad	Head of Office of Radio Station, Najibabad
46.	Panaji	Head of Office of Radio Station, Panaji

1	2	3	1	2	3
47.	Parbhani	Head of Office of Radio Station, Parbhani	85.	High Power Transmitter, Khampur.	Head of Office of High Power Transmitter, AIR, Khampur.
48.	Passighat	Head of Office of Radio Station, Passighat	86.	High Power Transmitter, Kingsway	Head of Office of High Power Transmitters, Kingsway.
49.	Patna	Head of Office of Radio Station, Patna.	87.	High Power Transmitters, Malad	Head of Office of High Power Transmitter, All India Radio, Malad.
50.	Pondicherry	Head of Office of Radio Station, Pondicherry	88.	High Power Transmitter, Rajkot	Head of Office of High Power Transmitter, All India Radio, Rajkot.
51.	Pune	Head of Office of Radio Station, Pune.			
52.	Port Blair	Head of Office of Radio Station, Port Blair.			
53.	Raipur	Head of Office of Radio Station, Raipur.			
54.	Rajkot	Head of Office of Radio Station, Rajkot			
55.	Rampur.	Head of Office of Radio Station, Rampur			
56.	Ranchi	Head of Office of Radio Station, Ranchi.			
57.	Ratnagiri	Head of Office of Radio Station, Ratnagiri.			
58.	Rewa	Head of Office of Radio Station, Rewa.			
59.	Rohatak	Head of Office of Radio Station, Rohatak.			
60.	Sambalpur	Head of Office of Radio Station, Sambalpur			
61.	Saugli	Head of Office of Radio Station, Saugli.			
62.	Shillong	Head of Office of Radio Station, Shillong.			
63.	Sikhar	Head of Office of Radio Station, Sikhar.			
64.	Siliguri	Head of Office of Radio Station, Siliguri.			
65.	Simla	Head of Office of Radio Station, Simla.			
66.	Srinagar	Head of Office of Radio Station, Srinagar.			
67.	Tawang	Head of Office of Radio Station, Tawang.			
68.	Tezu	Head of Office of Radio Station, Tezu.			
69.	Trichurapalli	Head of Office of Radio Station, Trichurapalli.			
70.	Tirunelveli	Head of Office of Radio Station, Tirunelveli			
71.	Trichur	Head of Office of Radio Station, Trichur.			
72.	Trivandrum	Head of Office of Radio Station, Trivandrum			
73.	Udaipur	Head of Office of Radio Station, Udaipur.			
74.	Vadodra	Head of Office of Radio Station, Vadodra.			
75.	Varanasi	Head of Office of Radio Station, Varanasi.			
76.	Vijayawada	Head of Office of Radio Station, Vijayawada			
77.	Visakhapatnam	Head of Office of Radio Station, Visakhapatnam			
78.	Quarters at Broadcasting House All India Radio New Delhi.	Deputy Director of Administration (H), Directorate General, All India Radio New Delhi.			
79.	Quarters at Office of Chief Engineer (R&D) All India Radio New Delhi.	Chief Engineer (R&D) All India Radio, New Delhi.			
80.	High Power Transmitters Aligarh.	Head of Office of High Power Transmitters, All India Radio, Aligarh.	1.	High Power Transmitter Aligarh	Entitled type failing which another type 1 Qr. Station Engineer (2 posts)
81.	High Power Transmitters Alleppey	Head of Office of High Power Transmitters, All India Radio, Alleppey.	2.	High Power Transmitters Rajkot	Entitled type failing which another type 1 Qr. Entitled type failing which another type 2 Qr.
82.	High Power Transmitters Avadi	Head of Office of High Power Transmitters, All India Radio, Avadi.	3.	High Power Transmitter Khampur.	Entitled type failing which another type 1 Qr. Entitled type failing which another type 1 Qr.
83.	High Power Transmitters Chinsurah.	Head of Office of High Power Transmitters, All India Radio, Chinsurah.	4.	High Power Transmitters Kingsway	Entitled type failing which another type 1 Qr.
84.	High Power Transmitter, Goraya.	Head of Office of High Power Transmitters, All India Radio, Goraya.	5.	High Power Transmitters Avadi	Entitled type failing which another type 1 Qr. Entitled type failing which another type 1 Qr.
			6.	High Power Transmitters Malad	Entitled type failing which another type 2 Qr.
			7.	High Power Transmitters Chinsurah	Entitled type failing which another type 3 Qr.
			8.	High Power Transmitters Goraya	Entitled type failing which another type 1 Qr.

THE THIRD SCHEDULE

[Sec rule 4(1)]

S. No.	High Power Transmitters	Type of quarters	Post to which attached.
1	2	3	4
1.	High Power Transmitter Aligarh	Entitled type failing which another type 1 Qr.	Superintending Engineer
2.	High Power Transmitters Rajkot	Entitled type failing which another type 1 Qr. Entitled type failing which another type 2 Qr.	Superintending Engineer Station Engineer (2 Posts)
3.	High Power Transmitter Khampur.	Entitled type failing which another type 1 Qr. Entitled type failing which another type 1 Qr.	Superintending Engineer Station Engineer
4.	High Power Transmitters Kingsway	Entitled type failing which another type 1 Qr.	Superintending Engineer
5.	High Power Transmitters Avadi	Entitled type failing which another type 1 Qr. Entitled type failing which another type 1 Qr.	Superintending Engineer Station Engineer
6.	High Power Transmitters Malad	Entitled type failing which another type 2 Qr.	Superintending Engineer & Station Engineer.
7.	High Power Transmitters Chinsurah	Entitled type failing which another type 3 Qr.	Superintending Engineer and Station Engineer (2 posts)
8.	High Power Transmitters Goraya	Entitled type failing which another type 1 Qr.	Superintending Engineer

THE FOURTH SCHEDULE

[See rule 5(1) & (3)]

TO BE COMPLETED IN DUPLICATE

1. Name of Officer.
2. Designation
3. Office to which posted.
4. Whether permanent or temporary
5. Present emoluments.
6. Type of quarter to which entitled.
7. Date from which in continuous Government employment.
8. Whether performing 'shift duty'.
9. Particulars of *transfers including the transfer to the present station.

Name of station	Period of posting	
	From	To

DECLARATION

I certify that I have read the rules governing the allotment of quarters and declare that the particulars given by me above are correct and that the allotment to be made to me or already made shall be subject to these rules and subsequent amendment, if any, thereto. I also certify that I do not own a house in my name or in the name of any member of my family at the place of my present posting or within the limits of the local or adjoining municipality.

Place _____

Date _____ Signature of the Officer.

*"Transfer", means effective change of station (city) involving duty for one year or more excluding period of leave other than casual leave.

(TO BE COMPLETED BY THE OFFICERS' ADMINISTRATIVE OFFICER)

No. _____ Date _____

Forwarded to the Controlling Authority _____.
The facts stated by the officer above have been verified and are correct.

Signature _____

Designation _____

THE FIFTH SCHEDULE

[See rule 15(1)]

FORM 1

OCCUPATION REPORT

1. Date of allotment.
2. Quarter number with servant's quarter.
3. Name
4. Designation.
5. Date of occupation.
6. Number of electric fans fitted in the house.
7. Number of light points fitted in the house.
8. Number of sockets and plugs

9. List of other fixtures in the house, viz, wash basins W.C.'s gratings etc.
10. Electric meter reading.
11. Water meter reading.

I understand that as long as I remain in occupation of this quarters, I shall be held personally responsible for any loss or damage to the quarters.

Place _____

Date _____ Signature of occupant.

THE SIXTH SCHEDULE

[See rule 15(1)]

(SURETY BOND)

I, Shri _____ son of Shri _____ at present employed as _____ in the _____ hereby stand surety (which expression shall include my heirs, executor and administrators) to the President of India (hereinafter called "the Government" which expression includes his successors and assigns) for payment by Shri _____ of licence fee and other dues in respect of the residence now allotted to him by Government as also for any residence additional accommodation extra servant quarters or garages that may be allotted to him from time to time by the Government.

I, the surety, shall indemnify the Government against all loss and damages until delivery of vacant possession of the same is made to the Government. I, the surety, hereby undertake to pay the Government forthwith on demand by the Government and without demur all such sums as may be due to the Government as aforesaid and I hereby agree that the Government shall be at liberty (and be hereby irrevocably authorised to do so) to recover the said sums from the salary payable to me and the decision of the Government as to the amount to be recovered shall be final.

The obligations undertaken by me shall not be discharged or in any way affected by an extension of time or any other indulgence granted by the Government to the said Shri (name of the allottees) _____ or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision have the effect of so releasing me _____ from my such liability.

This guarantee shall not be discharged by my death nor shall it be revocable by me at any time except with the consent in writing of the Government until the delivery of vacant possession of any such residence, servant quarter or garage which is in occupation of the allottee to the Government.

Provided however that this guarantee shall ipso-facto terminate from the date Shri _____ is declared permanent or quasi-permanent in any service in the Government of India.

The Government have agreed to bear the stamp duty, if any, for this documents.

Date _____

at New Delhi to the day of —19 (Signature of Surety)

Signature Address and occupation of _____ Designation _____
witness Office to which attached.

Certified that the above surety is a permanent Government servant. He is _____ years of age and his pay is _____ per month.

Signature of the Head of the Department of the Office in which the surety is employed.

Office Stamp

FORM II
VACATION REPORT

1. Date of allotment.
2. Quarter number with servant's quarters.
3. Name
4. Designation
5. Date of vacation.
6. Number of electric fans fitted in the house.
7. Number of light points fitted in the house.
8. List of other fixtures in the houses, viz., wash basins, W. C's gratings etc.
9. Electric metre reading.
10. Water meter reading.

Place.....

Signature of vacator.

Date.....

THE SEVENTH SCHEDULE

(See rule 12)

Shift duty staff

- I. Programme staff
 - (1) Transmission executives.
- II. Editorial staff
 - (2) Sub-editors
 - (3) Monitors (foreign languages)

III. Engineering staff

- (4) Senior engineering assistants.
- (5) Engineering assistants.
- (6) Technicians (Senior)
- (7) Technicians.
- (8) Diesel engine drivers
- (9) Telecine operators
- (10) Radio technicians

IV. Ministerial and miscellaneous staff

- (11) Stenographers in News Services Division.
- (12) Clerks Grade II -do-
- (13) Motor drivers
- (14) Teleprinter operators
- (15) Transport assistants
- (16) Studio attendants
- (17) Studio guards
- (18) Telephone attendants or operators
- (19) Studio executives
- (20) Cleaners/helpers
- (21) Khallasis
- (22) Farashes
- (23) Sweepers
- (24) Pcons
- (25) Costumer operators } in news service Division.
- (26) Daffries }

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1984

सा.का.नि.—950 भारत सरकार में नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा.का.नि. 34 (अ) दिनांक 13 जनवरी, 1984 की जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3 उप खंड (i) में दिनांक 13 जनवरी, 1984 को हुआ था उसी पंक्ति में धारा "धारा 34 के द्वारा" के स्थान पर "धारा 34 और 35 (3) के द्वारा" रख जायेगे।

[प्राप्त सं० पी० डब्ल्यू/पी. जी. अ. 7/6/83]
धानम सैय्यु, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd August, 1984

G.S.R. 950.—In the order of the Govt. of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. GSR. 34(E) dated 13th January, 1984, published

in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 13th January, 1984, in the second line, for the words and figures "by section-34". The words and figures "by sections 34 and 35 (3)" may be substituted.

[File No. PW/PGR/6/83]

THOMAS MATHEW, Under Secy.

(Shipping Wing)

(MERCHANT SHIPPING)

New Delhi, the 17th August, 1984

CORRIGENDUM

G.S.R. 951.—In the notification of the Government of India, Ministry of Shipping & Transport (Shipping Wing), No. G.S.R. 977, dated the 3rd December, 1983, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 17th December, 1983, at page 2863,—

(i) in the Table, for the words "The Govt. Polytechnic of Karwar", read "The Government Polytechnic, Karwar";

(ii) in the Note, for "3118", read "311".

[No.SW/5MSR(7)/83-MA]
S. SYNGHAL, Under Secy.